चीनी के बनामी सौदे

350. **श्री वीरेन्द्र वर्मा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1984 के दौरान उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में बिक्री के लिए माह-वार कितनी-कितनी चीनी जारी की गई ;

(ख) अप्रैल-मई, 1984 के दौरान चीनी के मूल्यों में 80 रु० से 100 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 22 मई, 1984 को हुए "एसमा" (ई० एस० एस० एम० ए०) के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कानपुर आदि बड़े-बड़े शहरों में चीनी के बड़े व्यापारियों द्वारा बेनामी सौदे किए जाने के संबंध में शिकायत की थी ; और

(घ) यदि 'हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और ऐसे बड़े व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव): (क) आन्तरिक खपत के लिए जनवरी से जून, 1984 तक निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री के मासिक कोटे की चीनी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख मीटरी टन)

मास	मुक्त बिक्री का कोटा
जनवरी . . .	3.25
फरवरी . . .	3.25
मार्च . . .	3.55
अप्रैल . . .	3.35
मई . . .	3.10
जून . . .	3.40

(ख) अप्रैल-मई, 1984 के दौरान चीनी के मूल्यों में इस वृद्धि का मुख्य कारण 1982-83 मौसम के 82.32 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में 1983–84 मौसम में चीनी का उत्पादन गिरकर लगभग 59 लाख मीटरी टन हो जाने की प्रत्याशा में व्यापारियों द्वारा सट्टे की खरीदारी करना है।

(ग) और (घ) भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन की 22 मई, 1984 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया था कि एसोसिएशन के जिन सदस्य फैक्ट्रियों का व्यापार माध्यमों के साथ निकट का संबंध है, वे अपने प्रभाव को इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो वे उन बेईमान व्यापारियों के साथ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं जोकि निरन्तर समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इस विचार की अभिव्यक्ति समान स्वरूप की थी और इसका उद्देश्य चीनी उद्योग और व्यापार के बेईमान तत्वों को सावधान करना था ।

व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के लिए चीनी की जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अधिकृत व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को कम कर दिया है और उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने स्टाक को 10 दिनों के अन्दर निकाल दें । राज्य सरकारों को भी जमा शुदा माल को निकलवाने के लिए अभियान शुरू करने की सलाह दी गई है।